


18-6-2025

सिराहा (राज.)

प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी के वकील अनुपस्थित।  
प्रार्थी के वकील ने इस प्रार्थना पत्र को पुनः पेश करने के  
अधिकार को सुरक्षित रखते हुए विद्रा (Withdra) किया है।  
अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान  
पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थी जरिये विद्रा  
(Withdra) खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

  
अति. जिला कलक्टर  
सिराही (राज.)

राजस्थान जिला, सि.  
(2017) सिराही

पुनः खेरा  
इसे के डाखिया  
हा पुजिया रकते  
इए विद्रा  
जमी ली  
